न्यायमूर्ति एन. के. अग्रवाल के समक्ष

हरियाणा राज्य अध्याय संघ व अन्य,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य व अन्य,-उत्तरदाता

1997 का सी. डब्ल्यू. पी. 7945

9दिसंबर, 1999

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद *226*—हरियाणा सहायता प्राप्त स्कूल *(*सेवा की सुरक्षा*)* अधिनियम, *1971*-भत्तों और लाभ में समानता-निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ाने वाले याचिकाकर्ता-पार्टी ने सरकारी स्कूल के शिक्षकों को दिए जाने वाले सभी लाभों के मामलों में मांग की-याचिका को बरकरार रखा-भत्ते और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार याचिकाकर्ता-प्रतिवादीगण को अन्य शेष भत्तों जैसे चिकित्सा, बोनस, छुट्टी नकदीकरण आदि के लिए योजना बनाने के लिए निर्देश जारी किए गए।

अभिनिर्धारित किया कि याचिकाकर्ताओं के पास शेष भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में समानता की मांग करते हुए उनके पक्ष में एक न्यायोचित मामला है।याचिकाकर्ता अन्य भत्तों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में भी समानता के हकदार हैं।इस मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और राज्य सरकार द्वारा निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के प्रबंधन के परामर्श से एक योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में बहुत कम काम किया है।

(पैरा 21 और 23)

इसके अतिरिक्त, यह अभिनिर्धारित किया गया कि रिट याचिका की अनुमति प्रतिवादीगण को शेष अन्य भत्तों जैसे चिकित्सा भत्ते, बोनस, छुट्टी यात्रा रियायत और सेवानिवृत्ति लाभ जैसे छुट्टी नकदीकरण आदि के संबंध में एक योजना तैयार करने के निर्देश के साथ दी गई है। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 12 (सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन) उपरोक्त भत्तों और लाभों के संबंध में समानता के संबंध में नए सिरे से एक योजना तैयार करेंगे जो सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य हैं लेकिन सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को भुगतान नहीं किए जाते हैं।

(पैरा 24)

अधिवक्ता पंकज कालरा, सह अधिवक्ता टी. महिपाल और वी. पी. मलिक याचिकाकर्ता की ओर से।

नितिन कुमार, अधिवक्ता, हरियाणा राज्य की ओर से।

निर्णय

न्यायमूर्ति एन. के. अग्रवाल

(1) यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शिक्षकों और 10 शिक्षकों के संघ की एक याचिका है, जिसमें हरियाणा राज्य और उसके अधिकारियों के साथ-साथ निजी रूप से प्रबंधित सहायता प्राप्त स्कूलों (संक्षेप में, "सहायता प्राप्त स्कूलों") को याचिकाकर्ताओं को वही भत्ते और सेवानिवृत्ति लाभ देने का निर्देश देने की मांग की गई है जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को दिए जाते हैं।कुछ याचिकाकर्ता सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और कुछ अभी भी सेवा में हैं।वे सेवा के सभी लाभों के मामलों में पूर्ण समानता चाहते हैं।

(2) याचिकाकर्ता का मामला यह है कि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत स्थायी पदों के खिलाफ पूर्णकालिक नियमित सेवा के बाद भी, उन्हें सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य भत्ते, पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ नहीं दिए जा रहे हैं।इस तरह के लाभों से इनकार करना मनमाना और भेदभावपूर्ण है।यह निवेदन किया गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों और सरकारी स्कूलों के शिक्षक समान कार्य करते हैं।दोनों समान रूप से योग्य हैं।सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रदर्शन अक्सर बेहतर पाया गया है।

(3) हरियाणा राज्य शिक्षक संघ व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य *(1)* में उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले पर विवेचन किया गया था। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने निर्देश दिया कि सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को वही वेतनमान और महँगाई भत्ता दिया जाना चाहिए जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य है।जहाँ तक अन्य भत्तों का संबंध है।उनके अध्यक्षों ने राज्य सरकार से इस मामले को सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन के साथ उठाने और उसके बाद समानता से संबंधित एक योजना तैयार करने के लिए कहा।

(4) राज्य सरकार ने इस योजना के निर्माण के संबंध में आगे कोई कदम नहीं उठाया।इसलिए यह मामला हरियाणा राज्य शिक्षक संघ और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2) में उच्चतम न्यायालय के समक्ष आया।जहां तक बकाया वेतन और अतिरिक्त महँगाई भत्ते के भुगतान का संबंध है, उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई, 1988 के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ और निर्देश दिए गए थे।चूंकि राज्य सरकार द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई थी, इसलिए 21 फरवरी, 1990 के फैसले के पैरा 11 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए थेः—

> "28 जुलाई, 1988 के फैसले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादीगण को सहायता प्राप्त शिक्षकों के बीच समानता लाने के लिए एक योजना विकसित करनी चाहिए।

(1)1988 (4) सुप्रीम कोर्ट केसेज 571
(2)1990 (सप.) सुप्रीम कोर्ट केसेज 307

सरकारी स्कूलों के स्कूलों और शिक्षकों को याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विभिन्न भत्तों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि प्रतिवादीगण को सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रबंधन के साथ इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए और जल्द से जल्द एक उपयुक्त योजना विकसित की जानी चाहिए।"

(5) राज्य सरकार ने योजना बनाने की दिशा में आगे कोई कार्यवाही नहीं की।सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने 1989 की सिविल अपील संख्या 2366 में *13* जुलाई, 1990 को निम्नलिखित आदेश पारित कियाः—

"21 फरवरी, 1990 के आदेश में बताए अनुसार राज्य द्वारा तैयार की जाने वाली योजना 31 दिसंबर, 1990 तक प्रस्तुत की जाएगी।"

(6) राज्य सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों ने इस मामले को फिर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष उठाया।4 अप्रैल, 1991 को सर्वोच्च न्यायालय के लॉर्डशिप्स द्वारा 1989 की सिविल अपील संख्या 2366 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गया थाः—

"13 जुलाई, 1990 के हमारे आदेश से हमने हरियाणा राज्य को एक योजना तैयार करने और उसे प्रस्तुत करने के लिए 31 दिसंबर, 1990 तक का समय दिया था।राज्य ने निर्देशों का पालन करने के लिए फिर से छह महीने के विस्तार के लिए आवेदन किया है।अपीलार्थियों के वकील द्वारा प्रार्थना का गंभीरता से विरोध किया जाता है।

परामर्श सुनने और राज्य में मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर ध्यान देने के बाद, हम प्रार्थना के संदर्भ में 30 जून, 1991 तक अंतिम विस्तार की अनुमति देते हैं।यदि अनुपालन में चूक होती है, तो यह माना जाएगा कि हरियाणा राज्य न्यायालय के आदेश को लागू नहीं कर रहा है।"

(7) शिक्षकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक अवमानना याचिका (1991 का सं. 206) दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया है।उच्चतम न्यायालय के उनके अधिष्ठाताओं ने अभिनिर्धारित किया कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक तीन शीर्षों पर अपने दावे के हकदार हैं, अर्थात्, शहर प्रतिपूरक भत्ता, घर का किराया भत्ता और उपदान।पूरी राशि का भुगतान दो साल के भीतर चार बराबर छमाही किश्तों में किया जाना आवश्यक था।पेंशन और अन्य भत्तों के संबंध में आदेश दिनांकित 22 अक्टूबर, 1991 के अनुसार निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं-

"क्या पेंशन और अन्य भत्ते जो भुगतान नहीं किए गए हैं, भविष्य की अवधि के लिए देय हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है।"

(8) सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक एक बार फिर लिखित याचिका (1994 का सिविल सं. 578) में उच्चतम न्यायालय गए।निम्नलिखित आदेश दिनांक

3 अक्टूबर, 1994 को लॉर्डशिप्स द्वारा पारित किया गयाः—

"रिट याचिका खारिज कर दी जाती है लेकिन बर्खास्तगी याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने से पहले नहीं रोकेगी।"

(9) वर्तमान रिट याचिका उच्चतम न्यायालय में लॉर्डशिप्स द्वारा की गयी उपरोक्त टिप्पणी के अनुसरण में दायर की गई है।

(10) याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता अब चाहते हैं कि यह न्यायालय उन मुद्दों पर निर्णय दे जिन्हें विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खुला छोड़ दिया गया है।वे मुद्दे अन्य भत्तों जैसे चिकित्सा भत्ता, छुट्टी यात्रा रियायत, बोनस और सेवानिवृत्ति लाभों में असमानता से संबंधित हैं।विद्वान वकील द्वारा यह बताया गया है कि राज्य सरकार ने मई 1998 के महीने में सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को पेंशन के भुगतान के संबंध में योजना को मंजूरी दी है।हालांकि, छुट्टी नकदीकरण जैसे अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की अनुमति नहीं दी गई है।

(11) याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि केंद्र सरकार द्वारा गठित कोठारी आयोग ने समानता के सवाल की जांच की थी और सिफारिश की थी कि विभिन्न प्रबंधनों के तहत काम करने वाले शिक्षकों का पारिश्रमिक वही होना चाहिए जो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य है।आयोग ने विशेष रूप से सिफारिश की कि एक ही श्रेणी से संबंधित लेकिन सरकारी, स्थानीय निकायों या निजी संगठनों जैसे विभिन्न प्रबंधनों के तहत काम करने वाले स्कूली शिक्षकों के वेतनमान समान होने चाहिए।हरियाणा राज्य ने कोठारी आयोग की सिफारिश पर और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसरण में सरकारी स्कूलों में काम करने वाले शिक्षकों के ग्रेड की तर्ज पर सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के ग्रेड को संशोधित करने का निर्णय लिया।राज्य सरकार ने बढ़े हुए खर्च को पूरा करने का निर्णय लिया और वेतनमान में संशोधन के कारण गैर-सरकारी निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों को अनुदान स्वीकृत किया।यह बताया गया है कि राज्य सरकार हरियाणा शिक्षा संहिता के तहत सहायता प्राप्त स्कूलों को अन्य अनुदान, जैसे रखरखाव अनुदान, हरिजन अनुदान, विकास अनुदान आदि देती है।सहायता प्राप्त विद्यालयों की सभी गतिविधियों पर राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण है।शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की संख्या प्रबंधन द्वारा सरकार की मंजूरी से तय की जाती है।योग्यता और सेवा की अन्य शर्तें भी राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं।सहायता प्राप्त विद्यालय राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए हमेशा खुले रहते हैं।सहायता प्राप्त विद्यालयों को 95 प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त हुआ।इसलिए यह तर्क दिया जाता है कि सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक सभी मामलों में समानता के हकदार हैं।वे और सरकारी स्कूलों के शिक्षक समान कर्तव्यों और कार्यों को निभाते हैं।उन्हें समानता के सिद्धांत पर एक ही वेतनमान में रखा गया है।

इसलिए सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के साथ शेष भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों के मामलों में भेदभाव नहीं किया जा सकता है।सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के संघ ने समय-समय पर राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया है, लेकिन सरकार हमेशा पूर्ण समानता को स्वीकार करने में उदासीन रही है।राज्य सरकार द्वारा अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, हालांकि समानता की योजना को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है।राज्य सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया है और सभी मामलों में समानता को लागू नहीं किया है।बार-बार निवेदन करने के बावजूद, राज्य सरकार ने शेष भत्तों, जैसे चिकित्सा भत्ता, बोनस, छुट्टी यात्रा रियायत, छुट्टी नकदीकरण आदि के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। यह भी कहा गया है कि सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य मानक वेतनमान और 10 और 20 साल की सेवा पूरी करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि नहीं दी गई है।उन्हें उच्च योग्यता के आधार पर उच्च वेतनमान से भी वंचित कर दिया गया है।

(12) हरियाणा सहायता प्राप्त विद्यालय (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1971 का उद्देश्य सहायता प्राप्त विद्यालयों के कर्मचारियों के लिए एक समान सेवा संहिता नियम प्रदान करना है।याचिकाकर्ताओं द्वारा यह भी कहा गया है कि पंजाब राज्य में सहायता

प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य पेंशन का लाभ दिया गया है।इसलिए याचिकाकर्ता पूर्ण समानता के हकदार हैं।चूंकि पेंशन की योजना को अब राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है, इसलिए अब जो सवाल खुला है वह शेष लाभों से संबंधित है।उनके सर्वोच्च न्यायालय के अधिपतियों ने इन मामलों को खुला छोड़ दिया था-उनके आदेश 22 अक्टूबर, *1991* के अनुसार।8 साल की अवधि बीत चुकी है।राज्य सरकार ने मई 1998 में पेंशन से संबंधित योजना को मंजूरी दी है।अन्य भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

(13) इसलिए याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि इस न्यायालय को सभी भत्तों में समानता के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश को अक्षरशः लागू करने के लिए राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश देना चाहिए।

(14) प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 (राज्य सरकार और उसके अधिकारियों) ने अपने जवाब में कहा है कि याचिकाकर्ता, सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षक होने के नाते, राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।वे निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के कर्मचारी हैं।इसलिए, वे केवल अपने नियोक्ताओं से किसी भी लाभ की मांग कर सकते हैं।राज्य सरकार केवल सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन को अनुदान देती है।चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत, बोनस, छुट्टी नकदीकरण आदि से संबंधित मामले निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के प्रबंधन के नियंत्रण में हैं।अतिरिक्त के रूप में प्रोत्साहन

निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के प्रबंधन द्वारा 10 और 20 साल की सेवा पूरी करने पर वेतन वृद्धि भी दी जानी है।ये वेतनवृद्धि पदोन्नति योजना का हिस्सा हैं।इसलिए यह नियोक्ता की जिम्मेदारी है कि वह अपने कर्मचारियों को पदोन्नति के अवसर प्रदान करे।

(15) प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि अन्य भत्तों में समानता के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया था।यह निर्णय लिया गया कि निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के प्रबंधन को अंतिम निर्णय लेने के लिए कहा जा सकता है।सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान और महँगाई भत्ते में समानता का लाभ पहले ही दिया जा चुका है।इसके अलावा, एच. आर. ए., सी. सी. ए. और उपदान में भी समानता है।राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को पेंशन देने का निर्णय भी लिया गया है।इस प्रकार, राज्य सरकार के संसाधनों के भीतर समानता को यथासंभव लागू किया गया है।

(16) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि एक बार समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया है, तो इसे इसके तार्किक अंत तक ले जाया जाना चाहिए।शिक्षक समग्र रूप से एक वर्ग बनाते हैं।किसी भी मनमाने और अनुचित मानदंड द्वारा कोई सूक्ष्म वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है जैसा कि डी. एस. नकारा और अन्य बनाम में माना गया है। भारत संघ *(3)*

(17) ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम और अन्य *(4)* में उनके सर्वोच्च न्यायालय के अधिपत्य ने संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 से प्राप्त अधिकारों की जांच की।यह अभिनिर्धारित किया गया कि बेदखल किए गए व्यक्तियों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के संबंध में अपने आश्वासन पर कार्य करना सरकार का दायित्व था।याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने इस निर्णय के बल पर तर्क दिया है कि एक बार जब सरकार समानता को लागू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो जाती है, तो वह योजना को आधा नहीं छोड़ सकती है।सरकार का दायित्व है कि वह अपने आश्वासनों पर अमल करे।

(18) फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल एम्प्लॉइज एसोसिएशन बनाम भारत संघ और अन्य *(5)* में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मान्यता प्राप्त गैर-सहायता प्राप्त निजी अल्पसंख्यक स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपने समकक्षों के लिए उपलब्ध वेतनमान और सेवा की अन्य शर्तों में समानता के हकदार हैं।

(19) दिल्ली परिवहन निगम बनाम डी. टी. सी. मजदूर कांग्रेस व अन्य (6)।यह अभिनिर्धारित किया गया है कि प्रचलित सामाजिक स्थितियाँ

(3)(1983) 1 सुप्रीम कोर्ट केसेज 305
(4)(1985) 3 सुप्रीम कोर्ट केसेज 545
(5)(1986) 4 सुप्रीम कोर्ट केसेज 707
(6)1991 पूरक (1) सुप्रीम कोर्ट केसेज 600

और जीवन की वास्तविकताओं को यह निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या कोई कानून समाज के उद्देश्य को पूरा करता है।

(20) हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त विद्यालय प्रबंधन समितियाँ व अन्य (7), में हिमाचल प्रदेश से उत्पन्न एक मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि सहायता प्राप्त विद्यालय राज्य सरकार से अनुदान के हकदार हैं ताकि वे अपने द्वारा नियोजित शिक्षकों को सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों को दिए जाने वाले वेतन के बराबर वेतन का भुगतान करने में सक्षम हो सकें।

(21) मामले पर विचार करने और उपरोक्त मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास शेष भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में समानता की मांग करते हुए उनके पक्ष में एक उचित मामला है।हालाँकि, राज्य सरकार के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिकांश भत्तों के संबंध में समानता लागू की गई है और इसलिए याचिकाकर्ताओं के पास शिकायत का कोई कारण नहीं है।रिलायंस को हिंदू कॉलेज गवर्निंग काउंसिल में इस अदालत के एक फैसले पर रखा गया है और एक अन्य बनाम श्री एन. डी. मल्होत्रा और एक अन्य (8) वह एक ऐसा मामला था जिसमें एक कॉलेज अपने कर्मचारियों को देय ग्रेच्युटी के प्रति अपने दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य सरकार से सहायता चाहता था।यह अभिनिर्धारित किया गया कि कॉलेज के पास न्यायालय से कोई निर्देश जारी करने का कोई मामला नहीं है।हालाँकि, यह मामला प्रतिवादी की मदद नहीं करता है क्योंकि सहायता अनुदान का सवाल इस समय कोई मुद्दा नहीं है।एक बार जब अन्य भत्तों के संबंध में समानता का सवाल तय हो जाता है, तो निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के प्रबंधन के परामर्श से सहायता अनुदान की राशि निर्धारित की जा सकती है।

(22) प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने हरियाणा राज्य बनाम जसमेर सिंह (9) मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले पर भी निर्भरता रखी है।इसमें यह माना गया है कि समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत दिहाड़ी मजदूरों पर लागू नहीं होता है।इस फैसले की वर्तमान मामले में उत्पन्न हुए विवाद से भी कोई प्रासंगिकता नहीं है।

(23) यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि याचिकाकर्ता अन्य भत्तों और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में भी समानता के हकदार हैं।इस मामले की उच्चतम न्यायालय द्वारा पहले ही जांच की जा चुकी है और राज्य सरकार द्वारा निजी रूप से प्रबंधित स्कूलों के प्रबंधन के परामर्श से एक योजना तैयार करने की आवश्यकता थी।ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने इस दिशा में बहुत कम काम किया है।कारणों का पता नहीं चला है।सर्वोच्च

न्यायल्य के लॉर्डशिप्स के राज्य सरकार को योजना विकसित क्रेन के निर्देश देने के 7 वर्ष बाद पेंशन के संबंध में योजना तैयार की गई है और लागू की गई है।

(7) (1995) 4 सुप्रीम कोर्ट केस 507
(8) 1993 (एल) आर. एस. जे. 757
(9) 1997 (2) एस. सी. टी. 151

अतः राज्य सरकार ने इस मामले में बहुत कम रुचि दिखाई है।कोई वैध कारण नहीं पाया गया है।एक बार समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने के बाद, इसे आधा नहीं छोड़ना चाहिए।इसे पूरा प्रभाव दिया जाना चाहिए।

(24) परिणामस्वरूप रिट याचिका को स्वीकार किया जाता है जिसमें प्रतिवादीगण को शेष अन्य भत्तों जैसे चिकित्सा भत्ते, बोनस, छुट्टी यात्रा रियायत और अवकाश नकदीकरण जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में एक योजना तैयार करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 4 से 12 (सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधन) उपरोक्त भत्तों और लाभों के संबंध में समानता के संबंध में नए सिरे से एक योजना तैयार करेंगे जो सरकारी, स्कूलों के शिक्षकों के लिए स्वीकार्य हैं लेकिन सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को भुगतान नहीं किए जाते हैं।इस आदेश की तारीख से छह महीने के भीतर यह योजना राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी।यह योजना सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों के संघ के परामर्श से तैयार की जाएगी।इसके बाद राज्य सरकार प्रतिवादीगण संख्या 4 और 12 द्वारा योजना प्रस्तुत करने की तारीख से तीन महीने के भीतर उस पर निर्णय लेगी।

(25) लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

जे एस टी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

नेहा चांद,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी,
गुरूग्राम, हरियाणा

न्यायमूर्तिगण जवाहर लाल गुप्ता और वी. एम. जैन के समक्ष
राम किशन,-याचिकाकर्ता
बनाम
फरीदाबाद कॉम्प्लेक्स प्रशासन व अन्य,-उत्तरदाता
1997 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8103

17दिसंबर, 1999

भारत का संविधान, *1950*-कला।*21 & 226*—गबन के आरोप में *1986* में याचिकाकर्ताओं को निलंबन के तहत रखने के लिए अनुशासनात्मक और आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई-निचली अदालत ने याचिकाकर्ता को बरी कर दिया क्योंकि *1994* तक उसके समक्ष कोई सबूत पेश नहीं किया गया था-याचिकाकर्ता को लंबित विभागीय कार्यवाही पर पूर्वाग्रह के बिना बहाल किया गया-विभाग *13* साल बीतने के बावजूद आरोप को साबित करने के लिए कोई सामग्री पेश करने में विफल रहा-- केवल इसलिए कि एक आरोप पत्र दिया गया है, यह नहीं माना जा सकता है कि आरोप साबित हो गया है-याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही ने उसके निलंबन की अवधि के दौरान वेतन के पूर्ण बकाया के भुगतान के निर्देश को रद्द कर दिया, इसके अलावा *5* लाख रुपये की राशि प्रदान की। *25, 000* मुआवजे के रूप में।